# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

वाद संख्या 63 / 24 — दायरा दिनांक 04.12.2024

**पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)**

चन्द्रप्रकाश पुत्र श्यामा उर्फ श्यामलाल उम्र 42 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम हतवारी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान — वादी

बनाम

1–बद्रीलाल पुत्र श्यामा उर्फ श्यामलाल जाति बलाई निवासी ग्राम हतवारी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2–हरबोबाई पत्नि श्यामा उर्फ श्यामलाल जाति बलाई निवासी ग्राम हतवारी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी केयरआफ घनश्याम बलाई निवासी नारानखेडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

**निर्णय दिनांक– 05.06.2025**

उपस्थित
वादी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से – श्री प्रकाश चन्द्र नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से – श्री आशीष राठोर एडवोकेट

उक्त उनवानी वाद तथा प्रतिवादीक्रम 2 के काउन्टरक्लेम को स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.04.2025 से विवादित आराजी ख0नं0 269 / 15 रकबा 10.00 बीघा ग्राम हतवारी तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1 / 3 तथा प्रतिवादीक्रम 2 के हिस्सा 1 / 3 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 22.05.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है–

| क.सं. | काश्तकार का नाम | ख.सं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चन्द्रप्रकाश पुत्र श्यामा उर्फ श्यामलाल जाति बलाई सा. देह | 269 / 15 दक्षिणी | 3.06 बीघा | बा.च. | 0.11 |

| क.सं. | काश्तक[illegible] | [illegible] – | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | बद्रीलाल पुत्र श्यामा उर्फ श्यामलाल जाति बलाई स[illegible] रहन एच.के.जी.बी. [illegible] | 2[illegible]/15 [illegible] | 3.06 बीघा | बा.च. | 0.11 |

| क.सं. | काश्तकार का नाम | ख.सं. | रकबा | [illegible] | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | हरबोबाई पत्नि श्यामा उर्फ श्यामलाल जाति बलाई सा. देह | 269 / 15 मध्य | 3.06 बीघा | बा.च. | 0.11 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

05/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम हतवारी तहसील शाहावाद की विवादित आराजी ख0नं0 269/15 रकबा 10.00 बीघा में से वादी हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादीकम 2 के हिस्सा 1/3 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादी तथा प्रतिवादीकम 2 के प्रथक प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी तथा प्रतिवादीकम 2 को विभाजित हिस्से पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। कृषिऋण राशि प्रतिवादीकम 1 द्वारा प्राप्त करना प्रमाणित होने से कृषि ऋण राशि एच.के.जी.बी. साखा केलवाडा का भार प्रतिवादीकम 1 के हिस्सा 1/3 पर अधिरोपित किया जाता है, जिसका रिकार्ड में अंकन हो। प्रतिवादीकम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के विभाजित हिस्सा कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested